

Original Article

धमतरी-महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र में कमार जनजाति की आजीविका में बांस हस्तशिल्प की भूमिका

संत कुमार बंजारे

सहायक प्राध्यापक (भूगोल), शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय- गरियाबंद (छ.:ग.)

Email: banjaresantkumar1@gmail.com

Manuscript ID:

JRD -2026-180124

ISSN: 2230-9578

Volume 18

Issue 1(A)

Pp. 118-125

January - 2026

Submitted: 17 Dec. 2025

Revised: 27 Dec. 2025

Accepted: 12 Jan. 2026

Published: 31 Jan. 2026

सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र धमतरी-महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र में निवासरत कमार जनजाति की आजीविका में बांस हस्तशिल्प की भूमिका का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बांस हस्तशिल्प कमार जनजाति की परंपरागत वनोपज आधारित आजीविका का एक प्रमुख साधन रहा है, जो न केवल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अध्ययन का उद्देश्य कमार जनजाति की आजीविका में बांस हस्तशिल्प के महत्व, इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों तथा युवा पीढ़ी की घटती रुचि के कारणों का विश्लेषण करना है।

शोध विवरणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े क्षेत्रीय भ्रमण, साक्षात्कार एवं अनुसूची विधि द्वारा धमतरी, गरियाबंद एवं महासमुंद जिलों के पाँच चयनित ग्रामों से संकलित किए गए। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद वर्तमान समय में केवल 1.88 प्रतिशत कमार परिवार ही बांस हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं, जो इसकी सीमांत एवं हासोन्मुख स्थिति को दर्शाता है। कृषि मजदूरी, सीमित कृषि एवं अस्थायी आय स्रोत आजीविका के प्रमुख आधार बन गए हैं, जबकि हस्तशिल्प एवं वनोपज आधारित गतिविधियाँ हाथिये पर चली गई हैं। अध्ययन में कच्चे माल की अनियमित उपलब्धता, तकनीकी पिछड़ापन, वित्तीय संसाधनों की कमी, कमजोर विपणन व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन को बांस हस्तशिल्प के पतन के प्रमुख कारणों के रूप में रेखांकित किया गया है। साथ ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि शासकीय योजनाओं, कौशल विकास, मूल्य संवर्धन एवं बाजार से प्रभावी जुड़ाव को स्थानीय सहभागिता के साथ समन्वित किया जाए, तो बांस हस्तशिल्प कमार जनजाति के लिए एक सतत, सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर आजीविका का सशक्त माध्यम बन सकता है।

मुख्य शब्द (Key Words): कमार जनजाति, बांस हस्तशिल्प, आजीविका स्रोत, वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल, जनजातीय संस्कृति, धमतरी-महासमुंद उच्च भूमि

प्रस्तावना

बांस हस्तशिल्प छत्तीसगढ़ का पारम्परिक व सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह शिल्प विशेष कर कमार जनजाति के वनोपज आधारित आजीविका का प्रमुख साधन है। जो परम्परागत रूप से सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता चला आ रहा है। इस कार्य में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी होती है। बड़े बुजुर्ग, महिलाएं तथा युवा वर्ग सभी परम्परागत रूप में हुनरमंद होते हैं। बांस से बनी यह शिल्प ईको फ्रेंडली होते हैं। जो छत्तीसगढ़ के धमतरी-महासमुंद उच्च भूमि भौगोलिक क्षेत्र में प्रमुखता से कमार समुदाय द्वारा किया जाता है।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdvrb.org/>

DOI:

[10.5281/zenodo.18617703](https://doi.org/10.5281/zenodo.18617703)



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

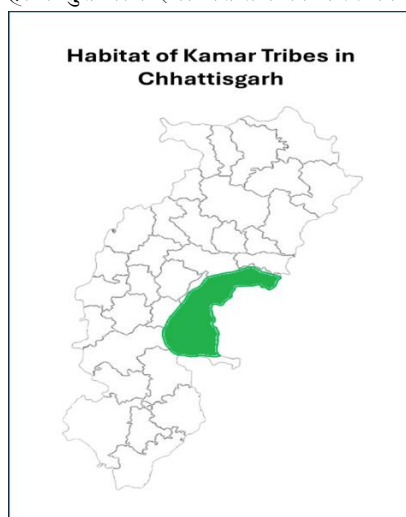
संत कुमार बंजारे, सहायक प्राध्यापक (भूगोल), शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय- गरियाबंद (छ.:ग.)

How to cite this article:

बंजारे, . संत . कुमार . (2026). धमतरी-महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र में कमार जनजाति की आजीविका में बांस हस्तशिल्प की भूमिका. Journal of Research & Development, 18(1(A)), 118-125.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18617703>

प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यतः गरियाबंद, धमतरी व महासमुंद जिले में विस्तृत है। बांस शिल्प अपनी उपयोगिता, मनमोहक सौन्दर्य, विविधता के लिए विख्यात है। आज हमारी यह सांस्कृतिक विरासत विविध कारणों से संकट में है। मुख्यमंत्री बांस विकास योजना, छत्तीसगढ़ बांस हस्तशिल्प बोर्ड, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इनके अस्तित्व को बनाए रखने की अथक प्रयासरत हैं। गरियाबंद जिले में विशेषकर डोगरी गांव, कुचेना, बम्हनी डीह में बांस शिल्प कला पुस्तैनी से करते आ रहे हैं। गरियाबंद जिले में छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड- बांस शिल्प केंद्र डोगरी गांव, उदंती -सीता नदी टाइगर रिजर्व बांस कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला व स्थानीय स्व सहायता समूह के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

यद्यपि बांस हस्तशिल्प पर कुछ अध्ययन उपलब्ध है परन्तु कुमार जनजाति के संदर्भ में भौगोलिक क्षेत्र आधारित, प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित, अध्ययन अत्यंत सीमित है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को भरने का प्रयास है।



इतिहास

बांस हस्तशिल्प भारत की प्राचीनतम एवं अत्यंत लोकप्रिय शिल्पों में से एक है। भारत में खासकर पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड, छत्तीसगढ़ में इसकी समृद्ध परम्परा है। यह कार्य मुख्यतः उरांव, हो, गोड, कमार, बंसोड़/तुरी, कंडरा, पारधी जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है। इस शिल्प का कच्चा माल बांस है। बांस ग्रामिनीई कुल की एक घास है इसका वैज्ञानिक नाम बैम्बू सोडिया है। इसकी दो मुख्य जाति है। बैम्बूसा (Bambusa) तथा डेंड्रोकेलेमस (Dendrocalemus)। बांस की कोपलें एक भोज्यपदार्थ (करील/बास्ता) के रूप है। साथ ही इसमें औषधीय गुण भी होते हैं।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

भारत में बांस हस्तशिल्प तथा जनजातीय आजीविका पर अनेक विद्वानों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। बांस को “गरीबों की लकड़ी” कहा गया है, क्योंकि यह ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के लिए आवास, कृषि, घरेलू उपयोग तथा आजीविका का महत्वपूर्ण आधार रहा है। विशेषकर मध्य भारत एवं छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में बांस आधारित शिल्प परंपरागत आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित हुआ है।

(क) मिश्रा (2008) ने जनजातीय आजीविका पर अपने अध्ययन में उल्लेख किया है कि वनोपज आधारित हस्तशिल्प आदिवासी समाज की आत्मनिर्भरता का प्रमुख आधार रहे हैं, किंतु आधुनिक बाज़ार व्यवस्था एवं वन नीति में बदलाव के कारण इन पारंपरिक व्यवसायों में निरंतर गिरावट आई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कच्चे माल की अनियमित उपलब्धता और विपणन तंत्र की कमजोरी से कारीगरों की आय प्रभावित हो रही है।

(ख) शर्मा एवं सिंह (2012) ने मध्य भारत में बांस हस्तशिल्प पर किए गए अध्ययन में बताया कि बांस शिल्प केवल आर्थिक गतिविधि न होकर सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार जनजातीय समुदायों में यह ज्ञान अनौपचारिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता है, किंतु शिक्षा, शहरीकरण और वैकल्पिक रोजगार के कारण युवा पीढ़ी की रुचि में कमी देखी जा रही है।

- (ग) आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (2015) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कमार, बंसोड़, कंडरा एवं गोड़ जनजातियाँ पारंपरिक रूप से बांस शिल्प से जुड़ी रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बांस से निर्मित घरेलू एवं कृषि उपयोग की वस्तुएँ ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही हैं, किंतु औद्योगिक उत्पादों के आगमन से इनका उपयोग सीमित हो गया है।
- (घ) दुबे (2017) ने गरियाबंद एवं धमतरी जिलों में जनजातीय आजीविका पर अपने अध्ययन में पाया कि कमार जनजाति की आजीविका संरचना मुख्यतः कृषि मजदूरी, वनोपज संग्रहण एवं पारंपरिक हस्तशिल्प पर आधारित रही है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि बांस को वर्ष 2017 में गैर-वन उपज घोषित किए जाने के बाद परिवहन संबंधी कठिनाइयों में आंशिक सुधार हुआ, किंतु इसके लाभ जमीनी स्तर तक सीमित रूप में ही पहुँच पाए हैं।
- (ङ) ट्राइफेड (TRIFED) एवं वन धन विकास योजना (2019) से संबंधित अध्ययनों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि बांस हस्तशिल्प को मूल्य संवर्धन, डिज़ाइन विकास एवं बाज़ार से जोड़ा जाए, तो यह जनजातीय आजीविका का सशक्त माध्यम बन सकता है। इन अध्ययनों में प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और सरकारी समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- (च) शर्मा (1993) के सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययन के अनुसार कमार जनजाति की में बांस हस्तशिल्प का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उनके अध्ययन में 50.67% कमार परिवार बांस हस्तशिल्प पर निर्भर पाए गए, जबकि मजदूरी (26.67%) एवं कृषि (16.00%) गौण आजीविका साधन थे। यह अध्ययन कमार जनजाति की पारंपरिक आजीविका संरचना को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बांस हस्तशिल्प पर सामान्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन उपलब्ध हैं, किंतु कमार जनजाति के संदर्भ में धमतरी-महासमुंद उच्च भूमि क्षेत्र को केंद्र में रखकर प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित भौगोलिक अध्ययन अत्यंत सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन या तो नीतिगत हैं या राज्य-स्तरीय सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। अतः प्रस्तुत शोध, कमार जनजाति में बांस हस्तशिल्प की आजीविका संबंधी भूमिका को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित कर, इस शोध-अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

उद्देश्य

- (क) कमार जनजाति के आजीविका में बांस हस्तशिल्प का महत्व का अध्ययन करना।
- (ख) बांस हस्तशिल्प के सामने चुनौतियों का अध्ययन करना।
- (ग) बांस हस्तशिल्प कला में युवा वर्ग की अरुचि के कारणों को जानना।

शोध विधि

- (क) **शोध प्ररचना :-** प्रस्तुत शोध लेख में विवरणात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है। यह शिल्प कमार जनजाति की वनोपज आधारित आजीविका का प्रमुख आजीविका का साधन है। परन्तु यह पुस्तैनी हस्तशिल्प विलोपन के कगार पर खड़ा है। विविध कारणों से युवा पीढ़ी की रुचि कम हो रही है। छत्तीसगढ़ की इस अभिन्न पारम्परिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण की आवश्यकता है।
- (ख) **अध्ययन क्षेत्र :-** इस शोध पत्र का भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र धमतरी-महासमुंद उच्च भूमि है। जिसके अंतर्गत मुख्यतः गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद ज़िले आते हैं।
- (ग) **उपकरण व साधन :-** यह अध्ययन गुणात्मक तथ्यों पर आधारित है। इसके लिए क्षेत्रीय भ्रमण, अनुसूची, साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रयोग किया गया है।
- (घ) **तथ्यों का संकलन :-** तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के लिये पांच ग्रामों का चयन सुविधा जनक प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया। सर्वेक्षित सभी कमार परिवारों से जानकारी संकलित की गई। द्वितीयक आंकड़ों हेतु प्रकाशित शोध पत्र, मोनोग्राम, टी.आर.टी.आई. व छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के प्रकाशन, बेवसाइट आदि से संकलन किया गया है।

कच्चा माल, निर्माण सामग्री व तकनीक

बांस हस्तशिल्प के लिए कच्चा माल के रूप में प्रायः हरा व कच्चे या सुखा बांस की आवश्यकता है। जो सामान्यतः स्थानीय जंगलों से स्वयं ले आते हैं या खरीद लेते हैं। निर्माण सामग्री में छुरी (करी), घोड़ी, बसुला, आरी, बिंधना, पटासी, भवारी, हथौड़ा, आधुनिक कटिंग मशीन, शिकंजा, आकर्षक बनाने के लिए रंग/पालिश है।

सबसे पहले बांस को पतला काट कर पानी में भिगोया जाता है ताकि वह लचीला हो जाय। फिर उसे अलग-अलग कलाकृतियों के लिए अलग-अलग मोटाई व लम्बाई के बांस से एक विशेष प्रकार की छुरी (करी) से बांस की लम्बी पट्टियां निकाली जाती है। बांस की पतली तिल्ली 'सरई', चौड़ी पट्टी को 'बिरला' तथा टोकरी/सूपा के किनारे लगाई जाने वाली मोटी व मजबूत पट्टी 'फाता' कहलाता है। बांस की पतली तिल्ली एवं खिपचियों को लकड़ी एवं बांस से बनी अड्डा/घोड़ी से साफ व चिकना करते हैं।

पतली पट्टियों से सूपा, झांपी, चाप, चटाई, हाथ पंखे, चुरकी तथा मोटी कड़ियों से टुकना, टुकनी, दौरी, बीज बोनी, छितका, पर्रा, दौसा, डलिया, झाल, खुमरी, मछली पकड़ने हेतु (थापा, बीसड़, धीर, ढुठी, चोलियां) आदि बनाया जाता है। जिसका उपयोग वैवाहिक गतिविधियों, घरेलू, कृषि व वनोपज संग्रहण व सुखाने में, मछली पकड़ने व सुखाने में, बाजार से विभिन्न वस्तुओं को लाने, ले जाने में किया जाता है। इसके साथ ही आकर्षक व मनमोहक सजावटी समान भी बनाई जाती है।

ग्रामीण घरों के छतों के निर्माण में व दरवाजे पर (टाट-फरका), भारी समान ढोने के लिए सांगा/कांवर बांस से निर्मित है।



बांस की पतली तिल्ली एवं खिपचियों को घोड़ी से साफ व चिकना करती महिला



चोलिया



बांस से निर्मित विभिन्न



टाट-फरका



बीज बोनी/टुकना बनाती महिला

बांस हस्तशिल्प और कमार जनजाति की आजीविका

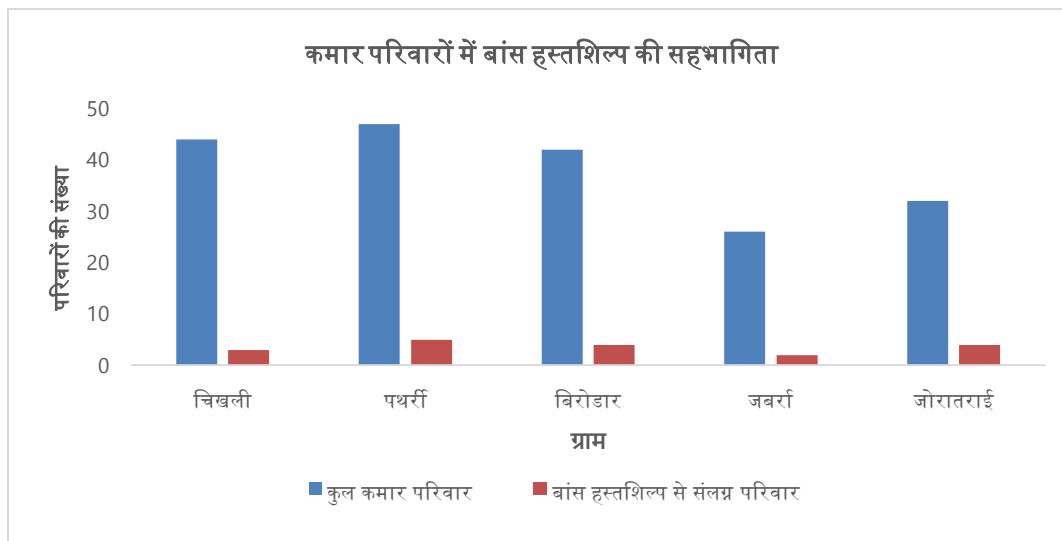
बांस हस्तशिल्प कमार जनजाति का एक पारंपरिक एवं महत्वपूर्ण आजीविका साधन है। जो वनोपज पर आधारित है। बांस हस्तशिल्प न केवल उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

तालिका -01

कमार परिवारों में बांस हस्तशिल्प की सहभागिता

क्रं	ग्राम	जिला / विकास खंड	कुल कमार परिवार	बांस हस्तशिल्प से संलग्न परिवार
1	चिखली	गरियाबंद	44	3 (1.57%)
2	पथरी	मैनपुर	47	5 (2.65%)
3	बिरोडार	छूरा	42	4 (2.09%)
4	जबर्ग	नगरी	26	2 (1.05%)
5	जोरातराई	महासमुंद	32	4 (2.09%)
	योग/ औसत		191	3.6 (1.88%)

स्रोत- प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2025



तालिका-01 के औसत आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में औसतन 3.6 कमार परिवार (1.88 प्रतिशत) ही बांस हस्तशिल्प गतिविधि से संलग्न हैं। यह अत्यंत निम्न औसत बांस हस्तशिल्प की सीमांत भूमिका तथा कमार जनजाति की आजीविका संरचना में इसके घटते महत्व को दर्शाता है। यह स्थिति पारंपरिक हस्तशिल्प आधारित आजीविका के ह्रास एवं वैकल्पिक आय स्रोतों की ओर बढ़ती निर्भरता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है।

1 पारंपरिक ज्ञान और कौशल

कमार जनजाति में बांस शिल्प का ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। बिना औपचारिक प्रशिक्षण के भी कारीगर बांस से सूपा, टोकरी, चंगेरा, मछली पकड़ने के उपकरण, अनाज भंडारण पात्र, झाड़ू और घरेलू उपयोग की वस्तुएँ तैयार करते हैं। यह कौशल उनके दैनिक जीवन और आजीविका का आधार रहा है।

2 आर्थिक आजीविका का स्रोत

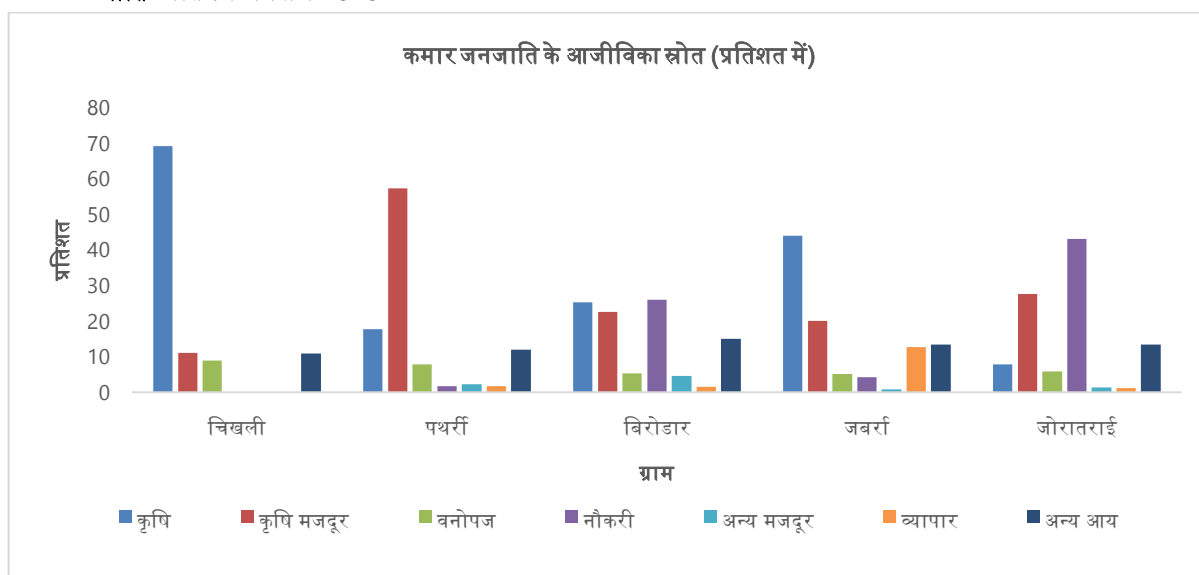
ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में सीमित कृषि और रोजगार के अवसरों के कारण बांस हस्तशिल्प कमार परिवारों के लिए नकद आय का प्रमुख स्रोत रहा है। विशेषकर कृषि के अवकाश काल में यह शिल्प आय की निरंतरता बनाए रखता है। स्थानीय हाट-बाज़ारों में इन उत्पादों की बिक्री से परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

तालिका -02

कमार जनजाति के आजीविका स्रोत (प्रतिशत में)

क्रं	ग्राम	कृषि	कृषि मजदूर	वनोपज	नौकरी	अन्य मजदूर	व्यापार	अन्य आय
1	चिखली	69.2	11	8.9	-	-	-	10.9
2	पथरी	17.7	57.2	7.8	1.6	2.3	1.6	11.9
3	बिरोडार	25.2	22.5	5.2	26	4.6	1.5	15
4	जबर्गी	43.9	20.1	5.1	4.2	0.8	12.7	13.3
5	जोरातराई	7.8	27.6	5.8	43	1.3	1.1	13.4
	औसत	32.7	27.7	6.6	15	1.8	3.4	12.9

स्रोत- प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2025



तालिका-02 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के कुमार जनजातीय परिवारों की आजीविका संरचना बहु-आयामी होने के बावजूद मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। औसतन कृषि (32.74 प्रतिशत) कुमार जनजाति की आजीविका का प्रमुख आधार है, जो उनकी पारंपरिक भूमि-आधारित जीवन शैली तथा सीमांत कृषक संरचना को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ ही कृषि मजदूरी (27.68 प्रतिशत) की उल्लेखनीय भागीदारी यह संकेत देती है कि भूमि की अल्प उपलब्धता एवं उत्पादन क्षमता की सीमाओं के कारण जनजातीय परिवारों को पराश्रित श्रम पर निर्भर होना पड़ रहा है। वन संसाधनों पर आधारित आजीविका, यद्यपि ऐतिहासिक रूप से कुमार जनजाति का प्रमुख आधार रही है, वर्तमान में वनोपज (6.56 प्रतिशत) तक सीमित रह गई है। यह स्थिति वन संरक्षण नीतियों, संसाधनों की घटती उपलब्धता तथा वैकल्पिक आजीविका स्रोतों के विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पन्न संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। तालिका में नौकरी (14.96 प्रतिशत) का औसत स्तर जनजातीय समाज में शिक्षा, आरक्षण नीति एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को रेखांकित करता है। विशेषतः कुछ ग्रामों में नौकरी की उच्च भागीदारी सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता (social mobility) के उभरते संकेत प्रदान करती है। इसके विपरीत अन्य मजदूरी (1.80 प्रतिशत) का न्यून स्तर यह दर्शाता है कि असंगठित क्षेत्र में संलग्नता अभी भी सीमित है। द्वितीयक आय स्रोतों में व्यापार (3.38 प्रतिशत) की नगण्य भागीदारी कुमार जनजाति की सीमित पूँजी, उद्यमशीलता अवसरों के अभाव तथा बाजार तक सीमित पहुँच को दर्शाती है। जबकि अन्य आय (12.90 प्रतिशत) का तुलनात्मक रूप से अधिक औसत आजीविका विविधीकरण की प्रवृत्ति को इंगित करता है, जिसमें पेंशन, सरकारी सहायता, स्वरोजगार एवं अस्थायी आय स्रोत सम्मिलित हैं।

अतः कुमार जनजाति की आजीविका संरचना संक्रमणशील अवस्था (transitional phase) में है, जहाँ पारंपरिक कृषि एवं कृषि मजदूरी अभी भी प्रमुख आधार बने हुए हैं, किंतु शिक्षा, सरकारी हस्तक्षेप एवं बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव से आजीविका के

वैकल्पिक एवं गैर-परंपरागत स्रोत धीरे-धीरे उभर रहे हैं। यह स्थिति भविष्य में सतत आजीविका विकास (sustainable livelihood development) हेतु लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्पष्ट करती है।

3 सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

बांस से निर्मित वस्तुएँ कमार समाज के सामाजिक अनुष्ठानों, विवाह, कृषि एवं पर्व-त्योहारों में प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार बांस हस्तशिल्प केवल आर्थिक गतिविधि न होकर उनकी सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है।

बांस हस्त-शिल्प की चुनौती :-

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कमार जनजाति के बांस हस्तशिल्प को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- (क) कच्चे माल की उपलब्धता एक प्रमुख समस्या है। वन क्षेत्रों में बांस की घटती उपलब्धता, प्राकृतिक पुनर्जनन की कमी तथा वन अधिनियमों की जटिल प्रक्रिया के कारण कारीगरों को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त बांस प्राप्त नहीं हो पाता। इससे उत्पादन की निरंतरता बाधित होती है।
- (ख) तकनीकी एवं कौशलगत पिछड़ापन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कमार कारीगर प्रायः पारंपरिक औजारों और तकनीकों पर निर्भर हैं। आधुनिक डिज़ाइन, टिकाऊ उपचार, फिनिशिंग तथा उत्पाद विविधीकरण के अभाव में उनके उत्पाद बाज़ार की बदलती माँग के अनुरूप प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाते।
- (ग) आर्थिक एवं वित्तीय सीमाएँ विकास में बाधक हैं। कार्यशील पूंजी की कमी, संस्थागत ऋण तक सीमित पहुँच और मध्यस्थों पर निर्भरता के कारण कारीगरों को उनके श्रम का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। परिणाम स्वरूप यह पेशा आर्थिक रूप से कम आकर्षक बन गया है।
- (घ) विपणन एवं बाज़ार संरचना की कमजोरी भी एक महत्वपूर्ण बाधा है। अधिकांश उत्पाद स्थानीय हाट-बाज़ारों तक सीमित रहते हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा राष्ट्रीय स्तर के बाज़ार से जुड़ाव का अभाव मूल्यवर्धन को रोकता है।

अंततः सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से युवा पीढ़ी बांस हस्तशिल्प से विमुख हो रही है। शिक्षा, शहरीकरण और वैकल्पिक रोजगार के कारण पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण बाधित हो रहा है।

निराकरण व शासकीय प्रयास :-

यद्यपि कमार बांस हस्तशिल्प के मार्ग में उपरोक्त चुनौतियाँ हैं। किंतु इन चुनौतियों के निराकरण हेतु बहुआयामी व समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

- (क) कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक बांस रोपण, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। वर्ष 2017 में बांस को गैर-वन उपज घोषित किए जाने से परिवहन एवं विपणन संबंधी कठिनाइयों में आंशिक कमी आई है, जिसका लाभ कमार कारीगरों तक पहुँचाया जाना चाहिए।
- (ख) तकनीकी एवं कौशल उन्नयन हेतु हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय, राज्य हस्तशिल्प बोर्ड तथा बांस शिल्प प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आधुनिक डिज़ाइन, ट्रीटमेंट और फिनिशिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता और बाज़ार प्रतिस्पर्धा में सुधार संभव है।
- (ग) आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सस्ती ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, विपणन सशक्तिकरण हेतु ट्राइफेड, वन धन विकास योजना, हाट-बाज़ार और मेलों के माध्यम से उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

इन सरकारी प्रयासों और स्थानीय सहभागिता के समन्वय से कमार जनजाति का बांस हस्तशिल्प एक सतत एवं आत्मनिर्भर आजीविका के रूप में विकसित हो सकता है।

निष्कर्ष

कमार जनजाति के लिए बांस हस्तशिल्प केवल पारंपरिक कला नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आजीविका साधन है। वर्तमान समय में कच्चे माल की अनियमित उपलब्धता, तकनीकी पिछड़ापन, सीमित वित्तीय संसाधन, कमजोर विपणन व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन इसके विकास में प्रमुख बाधक बने हुए हैं। यद्यपि विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विपणन पहलों के माध्यम

से इन समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। समन्वित नीति, स्थानीय सहभागिता और बाज़ार से सशक्त जुड़ाव द्वारा कमार जनजाति के बांस हस्तशिल्प को सतत, सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर आजीविका के रूप में विकसित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची (References)

1. मिश्रा, आर. के. (2008). जनजातीय समाज एवं वनोपज आधारित आजीविका. नई दिल्ली: भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद।
2. शर्मा, एस. एवं सिंह, पी. (2012). मध्य भारत में बांस हस्तशिल्प: सामाजिक-आर्थिक अध्ययन. भोपाल: मध्यप्रदेश जनजातीय अध्ययन संस्थान।
3. दुबे, ए. के. (2017). छत्तीसगढ़ में जनजातीय आजीविका संरचना: एक भौगोलिक अध्ययन. रायपुर: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय।
4. आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (2015). छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी पारंपरिक आजीविका. रायपुर: राज्य शासन, छत्तीसगढ़।
5. छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड (2018). बांस हस्तशिल्प विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम. रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन।
6. भारत सरकार (2006). वन अधिकार अधिनियम, 2006. नई दिल्ली: भारत सरकार, विधि मंत्रालय।
7. भारत सरकार (2017). भारतीय वन अधिनियम में संशोधन: बांस को गैर-वन उपज घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना. नई दिल्ली: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
8. TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) (2019). Van Dhan Vikas Yojana: Guidelines and Progress Report. नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. जनगणना भारत (2011). छत्तीसगढ़ जनजातीय जनसंख्या आँकड़े. नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (2020). जनजातीय उद्यमिता एवं आजीविका विकास योजनाएँ. नई दिल्ली: भारत सरकार।